प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –277 / 2023

अनवान : –

1. बलराजसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. अजायबसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 2/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 22 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 110 / 104 की कुल 7.5390 हैक्ट भूमि में से 3141 / 12565 हिस्सा भूमि व खाता स0 128 / 122 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1 / 15 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुका है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है। उक्त भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है के नाम दर्ज भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है तथा प्रतिवादी स0 1 ने सम्पूर्ण हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है। वाद के समर्थन में नयी व पुरानी जमाबंदी तथा पृथक बाबत सदस्य प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 22 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 110/104 की कुल 7.5390 हैक्ट भूमि में से 3141/12565 हिस्सा भूमि व खाता स0 128/122 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 110/104 की कुल 7.5390 हैक्ट भूमि में से 3141/12565 हिस्सा भूमि व खाता स0 128/122 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1/15 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.5.23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जसाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 277 / 2023

अनवान : –

1. बलराजसिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अजायबसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति जटसिख निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 277 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 110 / 104 की कुल 7.5390 हैक्ट भूमि में से 3141 / 12565 हिस्सा भूमि व खाता स0 128 / 122 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि में से 1 / 15 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–जसाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested